आंतर - भारती

हिन्दी मासिक पत्रिका

''आंतर भारती'' स्वप्नद्रष्टा
साने गुरुजी

संस्थाध्यक्ष
ॲड.आनंदमोहन माथुर

प्रेरक, संवर्द्धक-संपादक
स्व.यदुनाथ थत्ते

प्रबंध संपादन कार्यालय
आंतर भारती
साने गुरुजी मार्ग,
औराद शहाजानी - 413 522 (महा.)
ईमेल-antarbharati.patrika@gmail.com

संपादन कार्यालय
द्वारा, डॉ.सी.जय शंकर बाबु
सहायक प्रोफ़ेसर, हिन्दी विभाग, पांडीच्चेरी - विश्वविद्यालय, कालापेट, पुदुच्चेरी - 605014
ईमेल-editorbabuji@gmail.com

आंतर भारती, साने गुरुजी का एक स्वप्न जो असीम युवा शक्ति की सृजनात्मक उपयोगिता हेतु समर्पित, युवाओं की सम्भाव्यता, प्रवीणता, प्रेरणा व विश्वास के नए आयाम प्रदान करती है.

मुख्य संपादक
प्राचार्य सदाविजय आर्य
09823156777

visit us : antarbharati.org.in

कार्यकारी संपादक
डॉ.सी.जयशंकर बाबु
09843508506

संपादक
गंगाधर घुमाडे • ज्योतिराव लढ़के

मार्गदर्शक
एस.एन.सुब्बाराव • मुकुंद कुलकर्णी • मुरलीधर शहा

सहयोगी
मधुश्री आर्य • गोपाल सत्पुरे
सभी छायाचित्र - नरेंद्र भाई

प्रकाशित सामग्री से प्रकाशक / संपादक सहमत ही हैं ऐसा न मानें

ANTAR BHARATI : A dream of Sane Guruji committed to the constructive utilization of boundless Youth Power, gives new dimensions to the Potentiality, Skill, Inspiration & Belief of the youth.

आंतर भारती (मासिक) पत्रिका मुद्रक, प्रकाशक सदाविजय आर्य द्वारा **साईराम ग्राफीक्स**, लातूर से गणेश ऑफसेट, उदगीर हेतु मुद्रित कर आंतर भारती संकुल, औराद शहाजानी से प्रकाशित.

इस अंक में...

संपादकीय -	कोमल हाथों से कठिन काम करनेवाले असंख्य मासूम बच्चे...	५
आंतर भारती - १	तुका म्हणे	९
आंतर भारती - २	बसव वचन	१०
आंतर भारती - ३	तिरुवल्लुवर वाणी	११
काव्य भारती - १	पर्यटन केंद्र एवं तीर्थस्थल	१२
चिंतन भारती - १	गांवों को न सहेजने का खामियाजा	१३
चिंतन भारती - २	यह सतत संपूर्ण क्रांति है	१६
विशेष आलेख - १	लघुता को उधेड़ते महान के जंगल	१९
विशेष आलेख - २	उत्तराखंड : निर्माण के मापदंडों का निर्धारण	२३
विशेष आलेख - ३	जल सत्याग्रह : हमने भंवर बांध लिए पाँवों में	२६
कथा भारती - १	संघर्ष और सफलता की गाथा बराक ओबामा	३०
समाचार भारती-१	भारत जोडो मैत्री यात्रा	३२

हमारा ई-मेल का पता

e-mail : antarbharati.patrika@gmail.com
raavas@rediffmail.com
लेख इस ई-मेल पर भी भेजे जा सकते हैं

आंतर भारती पत्रिका के ग्राहक बने / बनाएँ

संपादकीय...

कोमल हाथों से कठिन काम करनेवाले असंख्य मासूम बच्चे...

हर वर्ष हम मना रहे हैं १४ नवंबर को बाल दिवस' के रूप में पंडित नेहरूजी की याद में...

११ नवंबर को ''राष्ट्रीय शिक्षा दिवस'' के रूप में मनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है...मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में...

इन दोनों दिनों को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की प्रासंगिकता अपनी जगह है, साथ ही इन दोनों से संबंधित विषय क्षेत्रों पर यदि चिंतन करें तो यह स्पष्ट है कि किसी हद तक ये दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे भी हैं. आमतौर पर शिक्षा पाने की आयु को हम 'बचपन' कह रहे हैं (इसमें युवावस्था भी शामिल हैं). बाल कल्याण की दृष्टि से देखें तो भारतीय संविधान में ऐसे कई प्रावधान हैं, संबद्ध प्रावधानों के तहत बने कई क़ानून भी, कई अभिकरण भी और उनकी कई सारी योजनाएँ भी हैं मगर इन सबके बावजूद... वर्तमान स्थिति एक 'आपात की स्थिति' है. 'आपात की स्थिति' शब्दों का प्रयोग मैं इस दृष्टि से कर रहा हूँ कि आज बच्चों की समस्याओं की ओर ग़ौर करने की बड़ी ज़रूरत है. वैसे इस ओर ध्यान देने के लिए एक मज़बूत तंत्र पहले से ही हमारे पास मौज़ूद है, एक बड़ा मंत्रालय, उसके तहत कई विभाग, कई सरकारी एवं ग़ैर-सरकारी संगठन बाल-कल्याण के क्षेत्र में संलग्न हैं. बच्चों के कल्याण और उनके समग्र विकास की दृष्टि से भारत की राष्ट्रीय बाल नीति, २०१३' भी बनकर संबंद्ध मंत्रालय के वेबसाइट में अलंकृत है. शिक्षा की भी नीतियाँ अपनी जगह हैं. हाल ही शिक्षा के अधिकार का अधिनियम भी लागू होना शुरू हो गया है. इन तमाम वास्तविकताओं के बावजूद चौंकाने वाली एक हक़ीकत यह भी है कि २०११ की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में ३९ प्रतिशत बच्चों की आबादी है, यह दुनिया की बच्चों की आबादी का बहुत बड़ा भाग है. दुनिया में बच्चों के समक्ष जो चुनौतियाँ और विडंबनात्मक स्थितियाँ उपस्थित हैं, उनकी गिनती के क्रम में समय-समय पर विश्वस्तर पर कई आंकडें, विश्लेषण

प्रस्तुत हो रहे हैं, उन स्थितियों से निपटने की रणनीतियाँ 'यूनिसेफ' (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) जैसी विश्वस्तरीय संस्थाएं बनाकर दुनिया के देशों से अपेक्षा कर रही हैं कि वे सब इस दिशा में कारगर कदम उठाएँ. सबसे ज़्यादा बच्चों की आबादी वाले देश होने के नाते भारत की इसमें काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है.

किसी भी देश के बच्चे उस देश की बड़ी संपत्ति होते हैं. बच्चों से भावनात्मक, प्रेरणात्मक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक आत्मीय आनंद, असीम शांति, अपार ऊर्जा, समृद्धि और बल प्राप्त होते हैं. बच्चों के समेकित विकास एक आदर्शपूर्ण मानव के रूप में होने में ही दुनिया का हित है. दुनिया में भारत बड़ा भाग्यवान है कि इस समय भारत में ही सबसे बड़ी संख्या में बच्चे हैं. इन बच्चों के स्वस्थ एवं समेकित विकास हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. ० से ६ वर्ष के बीच के बच्चों की आबादी भी लगभग १४ प्रतिशत है. देश के इन भावी भाग्य विधाताओं के संबंध में हमारी सारगर्भित नीतियाँ, कारगर रणनीतियाँ जितनी भी सक्रिय हैं, उनके परिणाम कल के भारत के स्वरूप को निर्धारित करेंगे. आज के भारत का एक चेहरा अखबारों की सुर्खियों में, पत्रिकाओं के आवरण-पृष्ठों में, टी.वी. के समाचार फीचरों में, वेबजाल के कई सारे जालस्थलों के पन्नों में सरासर हर दिन, हर मिनट, हर पल हम देख रहे हैं. बच्चों के संबंध में विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक खबरों के अलावा उनके प्रति घट रही विडंबनात्मक स्थितियों की खबरों से भी हम वाकिफ़ रहते हैं. मानवाधिकारों के चिंतन के तहत ही हम बच्चों के अधिकारों की चिंता भी कर रहे हैं, मगर आज भी -

कन्याकुमारी से जम्मू तक, गांधीधाम से डीमापुर तक देश में कहीं भी हम रेल-यात्रा करते हुए अपनी आंखों से यह दृश्य देखने के आदी हो गए हैं कि बच्चे ही रेल के कई डिब्बों में कचरे को बुहारते नज़र आते हैं...

देश के सभी बड़े शहरों में सड़कों में, चौराहों में अख़बार या कोई चीज़े बेचते बच्चे नज़र आते हैं...

चाय की दुकानों में..., मोटर के वर्कशापों में..., होटलों में..., खेतों में... हर जगह... अपने कोमल हाथों से कठिन काम करनेवाले असंख्य मासूम बच्चे...

देश के किसी भी बड़े शहर के कूड़ेदानों के आसपास तलाश में लगे स्ट्रीट

चिल्ड्रन' कहलाते बच्चे....

गुमशुदा', आवारा', निरीह', अनाथ', अपाहिज', आश्रयविहीन' कितने ही नामों से, धामों में, दामों में बच्चे शोषित, क्लेषित, बिकते, पिटते, दबते, अभावग्रस्थ, संकटग्रस्थ होते व अत्याचारों त्रस्त होते रहते हैं, इनके आंकड़ें अखबारों की खबरों में, शासन के चिट्ठों में, आयोगों की रिपोर्टों में जो भी हम पाते हैं, वे सब प्रायः अधूरे भी होते हैं. इन तमाम विडंबनापूर्ण स्थितियों के गवाह हमारी आंखें ही हैं जो हमारी असमर्थ चेतना के दर्पण भी बन रही हैं. बच्चों की बढ़ती आबादी कल के भारत के हमारे सपनों को सँजोनों में अनिवार्य तत्व के रूप में उभर रही है, मगर इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए आज तक जो भी प्रयास किए गए हैं और इस समय किए जा रहे हैं उनमें कुछ कमियाँ ज़रूर रह गई हैं. विभिन्न विभागों के कार्यों में आपसी समन्वय की भी बड़ी कमी नज़र आती है. इस समन्वय-सहयोग के अभाव के परिणाम को अबोध बच्चे भोगते नज़र आने पर महज देखते रह जाने की विडंबनात्मक चेतना के अधिकारी हममें से कई लोग बन रहे हैं. देश में इस समय एक तिहाई से अधिक आबादी बच्चों की है, अतः उनके समक्ष उपस्थित संवेदनात्मक स्थितियों से निपटने के लिए हमें तुरत कर्मनिष्ठ कदम उठाने की जरूरत है.

किसी अति विशिष्ट व्यक्ति (वीवीआईपी) के किसी शहर में आगमन के २०-२५ दिन पहले से ही एक बड़ी कवायद शुरू हो जाती है, शासन-व्यवस्था का प्रत्येक अंग सतर्क हो जाता है. पूरे इलाके में खुफ़िया तंत्र, सेना, अर्द्ध-सैनिक, पुलिस बलों की टुकड़ियाँ बड़ी तादाद में तैनात हो जाती हैं, सहस्त्रों कर्मियों की सेवाएं एक विज़िट' पर केंद्रित हो जाती हैं. आज बच्चों की आबादी की इस स्थिति को वैसी ही विज़िट' के रूप में मानकर पूरी निष्ठा के साथ कवायद शुरू करने की जरूरत है. लाखों की संख्या में भारत के सड़कों पर, पटरियों पर आवारा, अनाथ बनकर भूखे-सूखे-रूखे भटकनेवाले बच्चों की ओर हम यदि ग़ौर नहीं करेंगे, आपातकालीन व्यवस्था' के रूप में प्रयास शुरू नहीं करेंगे तो २०१५ तक निर्धारित सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की यदि कोई घोषणा भी हो जाए, महज वह आँकड़ों का मायाजाल साबित होगा और इसी तरह हमारे २०२०, २०५० जैसे सपने अधूरे भले ही नहीं रह जाएंगे मगर निरर्थक जरूर साबित हो जाएंगे.

बच्चे ही किसी भी परिवार में खुशियों की फुलवारी होते हैं. परिवार के संरक्षण से वंचित बड़ी संख्या में जो बच्चे इस विशाल देश में अनाथ' के रूप में भटक रहे हैं, परिवार के होते हुए भी ग़रीबी की वजह से भी कई बच्चें आवारागर्द, अल्पायु में ही श्रमिक, परिवार पोषक बनने की विडंबनात्मक स्थितियों में संघर्षमय जीवन बिता रहे हैं. गंभीर प्रयास के अभाव में वर्तमान रणनीति प्रायः अधूरी लगती है. इसके लिए कारगर कदम तुरत शासकीय स्तर पर उठाने की जरूरत है. समाज भी इस जिम्मेदारी से दूर न रहे, इसी में हमारा हित निहित है. क्योंकि समूचे बच्चों के स्वस्थ शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास भी देश के भविष्य के स्वरूप को निर्धारित करनेवाला एक महत्वपूर्ण आयाम होता है. बच्चों की उपेक्षा मानवीयता के विकास में बड़ी बाधा साबित होने का ख़तरा भी है.

आंतर भारती' के स्वप्नद्रष्टा साने गुरुजी को अपनी माताजी की वजह से जिस तरह का बचपन मिला था, उस अनूठे अनुभव के आधार पर उन्होंने अपने समय में देश के बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखकर कई कारगर कदम उठाए थे और अपनी कलम से भी बाल संस्कारों के निर्माण के उद्देश्य से कई कहानियों, कृतियों की रचना की थी. साने गुरूजी की विराट संकल्पनाओं को साकार बनाने के आत्मीय अनुष्ठान के रूप में आंतर भारती' पत्रिका शीघ्र ही अपनी स्वर्णजयंती (पचासवें वर्ष) की दहलीज़ पर कदम रखने वाली है. आंतर भारती' अभियान में बाल संस्कारों का निर्माण भी एक अभिन्न अंग है. उक्त पंक्तियों में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से इंगित बच्चों से संबंधित चुनौतिपूर्ण संवेदनात्मक स्थितियों से बच्चों को मुक्त करने की दिशा में यह अभियान और यह पत्रिका किस रूप में योगदान दे सकती है? - इस संबंध में सभी पाठकों से (बाल-पाठकों से भी) सुझावों का स्वागत है. साने गुरूजी की संकल्पनाओं की दिशा में आंतर भारती' को और प्रबल रूप से सक्रिय हो जाने में तथा इस क्रम में भविष्य की कार्य-योजनाएँ बनाने में आपके सुझावों से बड़ी ऊर्जा व दिशा ज़रूर मिलेगी.

दीवाली, मुहर्रम, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बाल दिवस व गुरुनानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं सहित...

- डॉ. सी. जय शंकर बाबु

तुकाम्हणे

(मराठी)

याजसाठी केला होता अटाहास

याजसाठी केला होता अटाहास । शेवटचा दिस गोड व्हावा ।।ध्रु।।
आतां निश्चितीनें पावलों विसांवा । खुंटलिया धांवा तृष्णेचिया ।।१।।
कवतुक वाटे जालिया वेचाचें । नांव मंगळाचे तेणें गुणें ।।२।।
तुका म्हणे मुक्ति परिणिली नोवरी । आतां दिवस चारी खेळीमेळी ।।३।।

हिन्दी भावानुवाद :

'अंतिम दिन बीता आनंद में'

सारी खटपट, दौडधूप सब, इसी हेतु की देवभजन की ।
जीवन का अंतिम दिन होवे मधुर, शांति हो तन की, मन की ।।१।।
अब निर्भय निश्चिंत हुआ हूँ, मिला शान्तिमय आश्रय मुझको ।
तृष्णा मुझको दौडाती थी, उससे मुक्ति मिली है मुझको ।।२।।
उस मंगलमय ईशचरण में जीवन बीता, बीत रहा है ।
यही सोचकर हर्षित होता मन संतोष से भीग रहा है ।।३।।
तुका कहे अब ब्याह कर लिया, मुक्ति नाम की इक नारी से ।
शेष चार दिन अब जीवन के, बीतेंगे सुख से, शान्ति से ।।४।।

हिन्दी : प्राचार्य वेदकुमार वेदालंकार
परिमल २८/८१, विद्यानगर, उस्मानाबाद (महा.).

English Translation

Worked hard to ensure peace and happiness

Yaaja saathee kelaa hotaa attahaasa

Worked hard have I, with tenacity,
To ensure peace and happiness towards the end of my life.
I have succeeded in curbing my wants and cravings.
Now will I rest in peace.

Reciting His benevolent Name, without a break,
I feel His Presence all around me !
Says TUKA, now that I am married to Mukti[1]
My days are full of play and bliss !

1. Mukti - Release from worldly bondage.

English : D.S.VAJRAM
3, Praram, Lakaki Rasta,
Pune - 411016

बसव वचन

मूल कन्नड वचन -

नावे बप्पुदु नामगिंदे बरलि
इंदु बप्पुदु नमगीगले बरलि
इदकारंजुवरु ? इदकारळुकक्रू !
''जातरच मरणं धुग'' यंबु दागि
नभ्म कूडल संगमदेव बरेद बरहव
तप्पिसुवेनेंदरे हरि ब्रह्मादिगळवल्ल

हिंदी काव्यानुवाद :-

कल आनेवाले आज ही आने दो
आज आनेवाले अभी आने दो
इसे कौन डरेगा ? इससे कौन रोएगा ?
''जातस्य मरणं ध्रुवं'' कथन
हमारे कुडल संगम देव का लेखा
हरि ब्रहमादि बपल व पायेंगे

भाष्य -

महात्मा बसवेश्वर कष्ट (परिश्रम) तथा मरण से नहीं डरते और कतराते नहीं. जो विधि द्वारा लिखित होनहार है उसे कोई टाला नहीं सकता. आदमी तो आदमी हरि ब्रहमादि देवता भी उसे बदलना चाहे तो बदल नहीं सकते.

संसार में एक बार जन्म हुआ है तो मृत्य होगी ही होगी उससे कोई बच न पायेगा. महात्मा बसवेश्वर निडर तथा निर्भय है. उनके अनुयायी भी उतने ही निर्भय है यही बात इस वचन से स्पष्ट होती है.

- डॉ.इरेश सदाशिव स्वामी
- 'विद्या', १२, ब्रह्मचैतन्य नगर, बिजापूर रस्ता, सोलापुर - ४१३००४
०२१७-२३४२१९४, ०९३७१०९९५००

तिरुवल्लुवर वाणी
तिरुक्कुरल

तमिलमूल - संत तिरुवल्लुवर
देवनागरी लिप्यांतरण एवं हिंदी हाइकु अनुवाद -
डॉ.सी.जय शंकर बाबु

प्रथम खंड - अरत्तुपाल (धर्म खंड)
इल्लऱ़वियल् (गृहस्थ-धर्म)
अध्याय ५. इल्वाळ्क्कै (गृहस्थ-जीवन)

इल्वाळ्ऱ़ान् एन्बान् इयल्पुडैय मूवर्क्कुम्
नल्लाट्रिन् निन्ऱ़ तुणै । (कुरल - ४१)

सच्चा गृहस्थ
त्रि-आश्रमी जन का
सच्चा आश्रय
भावार्थ - गृहस्थ धर्म ही अन्य तीनों आश्रमों (ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ व संन्यास) के लिए सच्चा आश्रय है ।

तुऱ़न्दार्क्कुम् तुव्वा दवर्क्कुम् इऱ़न्दार्क्कुम्
इल्वाळ्ऱ़ान् एन्बान् तुणै । (कुरल - ४२)

दीन हीन व
मृत का करे हित
सच्चा गृहस्थ
भावार्थ - दीन-दरिद्र, आश्रयहीन व मृतकों की सहायता जो करता है वह सच्चा गृहस्थ है ।

पर्यटन केंद्र एवं तीर्थस्थल

- टी.ई.एस.राघवन

औरंगाबाद

महाराष्ट्र के राज्य में, स्थित औरंगाबाद ।
'खडकी' इसका नाम था, फतेपुर फिर बाद ।।
'मिनी अप्पूघर' उपवन दर्शनीय है स्थान ।
यहाँ के बाग बगीचे, निहारने के स्थान ।।
देखने लायक थल हैं, रम्य दौलताबाद ।
दर्शन करने अर्ह है, सुरम्य खुलताबाद ।।

एलोरा की गुफाएँ

एलोरा की गुफाएँ, शिल्पकला समवेत ।
एलोरा की कन्दरा, मूर्तिकला समवेत ।।
एलोरा की गुफाएँ, शैव धर्म-समवेत ।
एलोरा की गुफाएँ, शाक्त धर्म-समवेत ।।
एलोरा की गुफाएँ, बौद्ध धर्म-समवेत ।
एलोरा की गुफाएँ, जैन धर्म-समवेत ।
गोदावरी नद तट पर, 'पैठण' विराजमान ।
पैठणी साडी सचमुच, सुविदित सुमूल्यवान ।।

- १, हनुमंतरायन मंदिर गली,
ट्रिप्लिकेन, चेन्नई - ६०००००५.

चिंतन भारती - १

गांवों को न सहेजने का खामियाजा

- भारत डोगरा

ब्रिटिश शासन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अनदेखी एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन आजादी के बाद भी इनकी अनदेखी वास्तव में चौकानें वाली है. सवाल उठता है कि यदि हमारे नीति निर्माता गांवों में बसने वाली सत्तर फीसदी आबादी की खुशहाली के लिए चिंतित नहीं हैं तो, देश के विकास के क्या मायने रह जाएंगे. -का.सं.

आजादी के बाद गांवों में हुए विविधतापूर्ण बदलाव को समझने के दृष्टिकोण अलग-अलग हो सकते हैं. गांवों से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को इस बात से इंकार नहीं होगा कि गरीबी अभी तक बड़े पैमाने पर मौजूद है. ब्रिटिश साम्राज्य के दिनों की सबसे बड़ी दुखभरी दास्तान उन भयानक अकालों की है, जिसमें समय-समय पर भारतीय गांवों में लाखों की संख्या में लोग मारे जाते थे. स्वतंत्रता के बाद की यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है कि इन अकालों से हमने सफलतापूर्वक छुटकारा पाया. लेकिन गांवों से भूख, कुपोषण और गरीबी को सदा के लिए दूर कर देने के लक्ष्य में अभी हमें सफलता नहीं मिली है.

एक अन्य मुख्य विफलता है टिकाऊ और स्थाई विकास की संभावनाओं का कम होना. तेजी से वन-विनाश हुआ व अंधाधुंध जल-दोहन के कारण जल-स्तर नीचे चला गमा. रासायनिक खाद के अत्यधिक और असावधान उपयोग के कारण कृषि भूमि का उपजाऊपन कम हुआ. इससे पर्यावरण का संकट विकट हुआ और अगली पीढ़ी के लिए समस्याएं बढ़ीं. वैकल्पिक वनीकरण भी वन विनाश की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाया.

जल संसाधन की बड़ी-बड़ी परियोजनाएं बनीं, विशालकाय बांध बनाए गए, पर गांव स्तर पर जल के संरक्षण और संग्रहण को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया गया. फसल-चक्र में, फसलों की किस्मों में तेजी से रसायनों तथा मशीनों की मदद से कई ऐसे बदलाव किए गए जिससे अल्पकाल में उत्पादकता तो बढ़ी, पर आगे के लिए जो मिट्टी का उपजाऊपन कम होने का संकट उत्पन्न हुआ

उस पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया.

गरीबी की समस्या बने रहने और पर्यावरण का संकट विकट होने और उसके कारणों को समझने के लिए गांवों में परंपरा और बदलाव के बीच हो रहे टकराव पर ध्यान देना जरूरी है. आजादी के समय हमारे गांवों की जो दयनीय स्थिति थी उसे १९४० के दशक में पड़े बंगाल के अकाल ने बहुत क्रूरता से स्पष्ट कर दिया था. इस अकाल में लगभग तीस लाख लोग मारे गए थे.

ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य था हमारे गांवों में अपना आधिपत्य बनाए रखना और उन्हें आर्थिक संसाधनों के लिए निचोड़ना और वहां से अधिक से अधिक आर्थिक संसाधन अपने साम्राज्य के लिए एकत्र करना. साथ ही उन्होंने जुलाहों जैसे अनेक दस्तकारों की उपेक्षा ही नहीं की, बल्कि इनके विनाश की नीतियां भी अपनाई. ताकि ब्रिटेन के मशीनीकृत तरीकों से तैयार वस्त्र और अन्य औद्योगिक वस्तुओं की बिक्री भारत में बढ़ सके. इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारतीय समाज में पहले से चली आ रही विषमताओं को और गहरा किया.

भूमि और अन्य तरह के संसाधनों से वंचित कर्ज में डूबे हुए और कई बार तो बंधक मजदूर की तरह काम करते हुए सबसे गरीब परिवारों को हमें अपनी पहली प्राथमिकता बनाना चाहिए था. यहीं हमसे भूल हो गई. हम सबसे निर्धन परिवार तक नहीं पंहुच सके. यह सच है कि जमींदारी समाप्त करने का कानून जोर-शोर से बना, कुछ हद तक सामंती शोषण पर चोट भी की गई, पर विषमता की व्यवस्था में जो व्यापक बदलाव आना चाहिए था, वह नहीं आ सका.

मध्यम वर्ग के किसानों की उनके स्वतंत्र विकास की संभावनाएं बढ़ीं जिसका, उनमें से अनेक ने उचित लाभ भी उठाया. किंतु सबसे गरीब भूमिहीन या लगभग भूमिहीन वर्ग की स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ. कुछ क्षेत्रों में तो आदिवासियों की भूमि बड़े पैमाने पर उनसे छिन गई. भूमि-सुधार के जो कानून बनाए गए उनको भी ठीक से लागू नहीं किया गया.

दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में हम अपनी समृद्ध परंपरा से वास्तव में कुछ सीख सकते थे वहां हमने इसकी उपेक्षा की. उदाहरण के लिए, कृषि तथा सिंचाई की तकनीक में स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु के अनुकूल कई

शताब्दियों से किसानों तथा अन्य ग्रामवासियों ने धीरे-धीरे जो प्रगति की थी, जिसमें कितनी ही पीढ़ियों का ज्ञान संग्रहित था, उसकी ओर हमने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया.

हमने गांवों के आर्थिक पिछड़ेपन को देखा और यहां की हर बात को पिछड़ी हुई मान लिया. यह हमारी बहुत बड़ी भूल थी. गांव के पिछड़ेपन और गरीबी का सबसे बड़ा कारण शोषण और विषमता की व्यवस्था थी. यदि इसे हम दूर करने पर ध्यान केंद्रित करते तो हमें साथ ही साथ गांवों के किसानों-मजदूरों-दस्तकारों, विशेषकर बुजुर्ग लोगों के पास संग्रहित बहुत सी जानकारी और ज्ञान को समझने का अवसर भी मिलता.

उन्नीसवीं शताब्दी में जैसे-जैसे ब्रिटिश शासन भारत के अधिकांश क्षेत्रों में फैलता गया वैसे-वैसे गांवों की आर्थिक तबाही बढ़ती गई. इसके बावजूद उस समय के अनेक ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय कृषि तथा सिंचाई विशेषज्ञों ने भी इस बात को नोट किया था कि जहां तक कृषि और सिंचाई की परंपरागत तकनीक का सवाल है वह बहुत उत्कृष्ट कोटि की है और भारतीय किसानों के तौर-तरीके बहुत समृद्ध हैं. हमारे गांवों की परंपरागत तकनीकी में स्थानीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान की कुशलता थी.

उदाहरण के लिए हमारे देश में वर्षा मुख्य रूप से मानसून के दो-तीन महीनों में केंद्रित है. अतः जल संरक्षण तथा संग्रहण की विशेष आवश्यकता है. ब्रिटेन में वर्ष भर कुछ न कुछ वर्षा होती रहती है और वह भी धीरे-धीरे. अतः वहां जल संग्रहण तथा संरक्षण की इतनी आवश्यकता नहीं है. वहां की स्थिति के आधार पर काम करने वाले विशेषज्ञों ने भारत के परंपरागत जल संग्रहण और संरक्षण के तौर-तरीकों की उपेक्षा की बात तो समझी जा सकती है पर आजादी के बाद हम स्वयं भी यही करते रहे यह विशेष दुःख की बात है.

संक्षेप में कहें तो भारतीय गांवों के संदर्भ में परंपरा के दो पक्ष हैं. एक पक्ष विषमता, अन्याय, अंध-विश्वास, छुआछूत आदि से संबंधित है जिसका जमकर विरोध होना चाहिए. पर परंपरा का एक दूसरा पक्ष भी है जो कई पीढ़ियों और शताब्दियों से किसानों, मजदूरों, दस्तकारों, वैद्यों, तालाब बनाने वालों, जल-संग्रहण की व्यवस्था से जुड़े विशेष समुदायों, पशु-पालकों द्वारा संग्रहित

(पृष्ठ २२ पर...)

चिंतन भारती - २

यह सतत संपूर्ण क्रांति है

कुमार प्रशांत

जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की परिकल्पना आज भी मूर्त रूप धारण करने हेतु प्रतीक्षारत है. अपने जीवन के संध्याकाल में उन्हें इस बात का भान हो गया था कि जनता सरकार अपने तयशुदा रास्ते से भटक चुकी है. इस आलेख में उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार आंदोलन की शुरुआत और उनके सपने के बिखरने को अत्यंत मार्मिक किंतु सारगर्भित ढंग से सामने आते हैं. प्रस्तुत हैं कुमार प्रशांत द्वारा लिखी पुस्तक शोध की मंजिले से उद्धत कुछ अंश.

चुनाव में बिहार संघर्ष का फैसला करने की इंदिराजी की चुनौती जयप्रकाश ने स्वीकार की, तो दलों को लगा कि अब बाजी उनके हाथ में है. उन्होंने कुछ हाथ-पांव मारे भी. लेकिन जयप्रकाश ने सावधानी से कदम उठाया और संघर्ष संचालन समिति की एक बैठक में कहा- ''चुनाव को मैं आंदोलन की गंगा में बहती हुई लाश की तरह देखता हूं. लेकिन जब से मैंने चुनाव की बात की है, सब उसी दृष्टि से क्षेत्र बनाने में लगे हैं. आखिर, मैं किस पर भरोसा करूं? जनता के बीच जाता हूं, तो वही उत्साह, वही उमंग देखता हूं, लेकिन जब अपने हाथ-पांव देखता हूं, तो मेरी हालत उस मयूर की तरह हो जाती है जो बादलों को देखता है, तो नाचने लगता है, लेकिन जब अपने काले, नंगे, कुरूप पैरों की ओर देखता है तो नाचना बंद कर देता है.'' १ जनवरी, १९७५ को उन्होंने निर्दलीय शक्ति के हाथ में आंदोलन की पहल बनाए रखने के लिए फिर नई रणनीति बनाई और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के नाम से निर्दलीय छात्रों-युवकों का एक संगठन खड़ा किया. जनता सरकार का गठन और संघर्ष वाहिनी का संगठन, इन दो कार्यक्रमों को आगे लाकर उन्होंने एक बार फिर निर्दलीय ताकत के हाथ में पहल सौंप दी.

लोकतंत्र में नए विचार और नई मान्यताओं को जमाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि जनांदोलनों में उनका हिम्मत के साथ प्रयोग किया जाए. इसमें खतरा है-नए विचार का खोखलापन जाहिर हो सकता है या आपके नेतृत्व का मेरुदंड टूट सकता है, या विस्फोटक परिस्थिति आपके काबू से

बाहर जा सकती है. लेकिन ऐसा न करने से क्रांतिकारी विचार और उभार का दब जाना या मर जाना निश्चित है. इसलिए क्रांतिकारी खतरे उठाकर भी प्रयोग करता है. गांधी ने इसी संदर्भ में ये दिशा-निर्देशक शब्द कहे थे ''कुशासन, शासनहीनता-एनार्की से भी बुरी चीज है.''

जन संघर्ष में सामूहिक प्रार्थना के बोल की तरह समवेत, अटूट लय नहीं होती है, हो भी नहीं सकती. उसका सौंदर्य इसमें है कि वह समुद्र ही लहरों की तरह अविराम उठती है और यथास्थिति पर चोट करती है-लहरें, जो हर बार रूप बदलती हैं और इसलिए हर बार नई होती हैं.

कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जयप्रकाश ने कुछ जल्दबाजी की और सीधे संघर्ष पर ज्यादा जोर दिमा. इन दोनों बातों मे तथ्य है. लेकिन उसके पीछे जयप्रकाश से कहीं ज्यादा हाथ परिस्थितियों का था. सिविल नाफरमानी के व्यापक आंदोलन के नेता को परिस्थिति का अपना मूल्यांकन करना पड़ता है और उसी मुताबिक रणनीति बनानी पड़ती है. देश में जिस अधिनायकवाद की चर्चा दूसरे लोग गोष्ठियों में करते थे, जयप्रकाश उसे तेजी से आते हुए देख रहे थे. वह जितनी तेजी से आ रही थी, जयप्रकाश उससे अधिक वेग से बढ़कर उसे रोकना चाहते थे. इस प्रकार उन्होंने दो चुनौतियां एक साथ स्वीकार की थीं - संसदीय लोकतंत्र का जो ढांचा देश में बना हुआ था, उसे टिकाए रखना और दूसरी तरफ, उस ढांचे में लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा भरना. क्रांतिकारी आंदोलन का यह बिलकुल नया आयाम था जिसके लिए इतिहास के पास भी नसीहत नहीं है. एकदम कोरी स्लेट थी जिस पर जयप्रकाश को लिखना था. मह जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए उनके समक्ष दो तथ्य एकदम स्पष्ट थे - वे अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में थे और गांधीजी की तरह उनके पास राष्ट्रीय पहचान रखने वाले नेताओं की टुकड़ी नहीं थी. उनके हाथ में थी ७२ साल की अपनी पकी उम्र तथा युवकों के अलावा, थोड़े से सर्वोदय के वरिष्ठ साथी. इन दोनों में से किसी की भी राष्ट्रीय तो छोड़िए, प्रांतीय पहचान भी नहीं थी. इसलिए एक अर्थ में उन्हें अकेले के दम पर सारी चीजें खड़ी करनी थीं.

एक बार उन्होंने इस संदर्भ में कहा- ''दुनिया में आज तक शांतिमय क्रांति कहीं हुई नहीं. जितनी क्रांतियां हुई, वे सब हिंसक क्रांतियां हुई. सिर्फ अपने देश में, महात्मा गांधी के विलक्षण नेतृत्व में राष्ट्रीय क्रांति हुई और वह शांतिमय हुई... गांधीजी जीवित रहते, तो समाज बदलने का काम शांतिमय तरीके से कैसे हो

सकता है, यह करके दिखलाते. उनका असली काम तो वही था. अब वे तो हमारे साथ रास्ता दिखलाने के लिए रहे नहीं. इसलिए आग्रहपूर्वक आपसे कह रहा हूं कि हमारे सामने शांतिमय क्रांति का कोई नमूना नहीं है कि जिसकी हम लोग नकल करें. ऐसा मैंने कई बार पहले भी कहा है कि हर क्रांति अपनी किताब स्वयं लिखती है. कोई क्रांति, पिछली क्रांति की प्रतिलिपि नहीं होती''....

.....''मैं आंदोलन (बिहार आंदोलन) की व्यापकता और इसकी संभावना भी देख रहा हूं और तुमसे यह भी कहूं कि मैं जानता हूं कि मेरे पास वक्त बहुत कम है. मैं बापू की तरह सवा सौ साल जीने की बात नहीं कर सकता. इसलिए मैं कुछ दूसरे टाइम टेबल से काम कर रहा हूं. मैं अपनी सारी शक्ति समेटकर उन विचारों की व्यावहारिकता के ठोस प्रमाण पेश करना चाहता हूं जो बापू ने, विनोबा ने समाज के सामने पेश किया, और मैं खुद जिन्हें मानता हूं.''....

मैंने कहा (लेखक) - ''विनोबा ने इस आंदोलन के प्रति जो रुख अपनाया है इससे एक दु:खद स्थिति यह बनी है कि विनोबा को अस्वीकृत करने का मानस बना है. इस कारण विनोबा के जिन विचारों का आंदोलन को सीधा लाभ मिल सकता था, उससे भी यह वंचित हो जाता है.

''हां, यह आंदोलन का दुर्भाग्य है'', जयप्रकाश बोले, ''और एक क्रांतिकारी नेता की दृष्टि से देखो, तो इसमें विनोबा की भी विफलता ही है. पार्टी को छोड़ते वक्त मैं दलीय राजनीति और परंपरागत समाजवाद के बारे में जितने स्थिर निष्कर्ष पर पहुंच गया था, आज मैं उतने ही स्थिर निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि सर्वोदय की कल्पना कभी धरती पर उतर सकेगी, तो एक शांतिमय, सतत आंदोलन का तरीका ही हमें अपनाना पड़ेगा. इसलिए मैं बाबा के विरोध के कारण अपनी अटपटी स्थिति के बावजूद इस प्रयोग में लगा ही रहने वाला हूं.''..... (जनता सरकार के गठन के बाद बीमारी के चलते उन्होंने कहा था - संपादक)

.....''घमंड तो नहीं करता हूं, लेकिन गंगा बाबू, मेरे शरीर ने इस तरह से जवाब न दे दिया होता, तो मैं देश की किस्मत फिर पलट सकता था. भगवान के हाथों में इसका औजार बन सकता था... मेरी ताकत तो जनता है. काम करने का मेरा तरीका यही रहा है कि मैं सीधे जनता के बीच में जाता था. उनसे मुझे ताकत मिलती थी, दिशा मिलती थी. आज मैं उससे बिलकुल कट गया

(पृष्ठ २९ पर...)

विशेष आलेख - १

लघुता को उधेड़ते महान के जंगल

प्रशांत कुमार दुबे

ऊर्जा की असीमित भूख को पूरा कर पाना आधुनिक सभ्यता के लिए असंभव है. आवश्यकता इस बात की है कि ऊर्जा के उपभोग को सीमित व संयमित कर बेहतर पर्यावरण की दिशा में कार्य किया जाए. वन संपदाओं और प्राकृतिक संसाधन अंतत: सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और हमें याद रखना चाहिए कि वह हमारी भावी पीढ़ियों की धरोहर हैं और हम उसके रक्षक हैं, भक्षक नहीं. कासं.

इन दिनों एशिया के सबसे बड़े और पुराने जंगलों की सूची में शुमार सिंगरौली जिले के महान के जंगलों में विकास की आग लगी हुई है. महान नदी के किनारे बसे इन जंगलों पर ६२ गांवों के लोग निर्भर हैं तथा यहां वन सम्पदा के साथ १०२ जंतु प्रजातियां मौजूद हैं. यहां गिद्धों की कुछ दुर्लभ प्रजातियों की पनाहगाह भी है. इसी जंगल के नीचे काले सोने का भी अपार भंडार है और जिस पर अब कंपनियों की नजर लगी है. यहां पर लंदन स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी एस्सार के १२०० मेगावाट और हिंडाल्को के ६५० मेगावाट के प्रस्तावित विद्युत संयत्रों के लिए कोयले की जरूरतों को पूरी करने के लिए संयुक्त रूप से सन् २००६ में इस कोल ब्लाक का आवंटन हुआ.

सन् २००९ में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस कोयला ब्लाक को पर्यावरणीय स्वीकृति दी, लेकिन बाद में केंद्रीय आयोजना एवं विकास संस्थान ने वर्ष २०१० में इसे निषिद्ध जोन (नो-गो) के रूप में चिन्हित किया. इसी मंत्रालय की ही एक और सलाहकार समिति (एएफसी) ने चार बार समीक्षा करने के बाद सन् २०११ में परियोजना की मंजूरी के खिलाफ मत दिया. इस पर तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इसकी मंजूरी को लेकर यह कहते हुए मना किया कि ''इस कोयला ब्लाक में खनन की अनुमति दिए जाने से अन्य खंडों में भी खनन की इजाजत मिलने के रास्ते खुल जाएंगे. यह मात्रा और गुणवत्ता दोनो के लिहाज से बेहद समृद्ध वनाच्छादित क्षेत्र को तहस

नहस कर देगा.'' लेकिन इसी कोल ब्लाक आवंटन के लिए मध्यप्रदेश सरकार भी हाथ-पैर मार रही थी और प्रधानमंत्री कार्यालय भी दवाब बना रहा था. विदेशी कंपनियों के लिए स्थानीय निवासियों की आजीविका, सघन वन क्षेत्र व जैव विविधता को किनारे करते हुए लूट की छूट दिए जाने के इस सियासी गठजोड़ के चलते अंतत: पर्यावरण व वन मंत्रालय को १८ अक्टूबर २०१२ को इस ब्लाक के लिए पहले चरण की स्वीकृति देना पड़ी. पर अभी दूसरे चरण की स्वीकृति बाकी है और जिसके लिए ३६ शर्तें जोड़ी गई हैं.

महान कोल लिमिटेड को यह कोल ब्लाक आवंटित करने के मायने हैं १४ गांवों के १४,९९० लोग जिनमें ५,६५० आदिवासी हैं, की जीविका खत्म करना. साथ ही आदिवासियों और स्थानीय निवासियों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सरोकारों को सूली पर टांगना तथा ५ लाख १२ हजार ७८० पेड़ों की बलि, जिनमें से सबसे ज्यादा महुए के पेड़ हैं, रिहंद बांध के जलभराव क्षेत्र में कमी लाना और यह भी तब जबकि इस कोल ब्लाक में केवल १४ वर्षों के लिए ही कोयला उपलब्ध है. इसके अलावा आवंटन के लिए प्रतीक्षारत छत्रसाल और अन्य कोल ब्लॉक के लिए दरवाजे खोल देना. अमेलिया गांव के ही हरदयाल आदिवासी कहते हैं कि आप जंगल को कुछ नहीं समझते होंगे पर हमारे लिए यह हमारे शरीर का आधा भाग है. यदि पैर में कांटा गड़ जाता है तो हमें कितना दर्द होता है फिर यहां तो शरीर के

आधे हिस्से को अलग करने की बात है. तो हम जिएंगे कैसे? राधाकली कहती है कि यह जंगल तो हमारा साहूकार है. कभी गए तो तेंदूपत्ता तोड़ लिया, बेचा और तुरंत पैसा बन गया. बोनस अलग. चार, चिरौंजी बेच ली. कुक्कुट (कुकुरमुत्ता) की सब्जी खाते हैं और उसे बेच भी लेते हैं. महुआ की बात ही अलग है, हमारे जीवन में खुशबू उसी से है और इसी जंगल को हमसे छीना जा रहा है.

जंगल से इनके अभिन्न हिस्से को समझना है तो हमें इनके संघर्ष के झंडे को देखना होगा. इनके झंडे में हरा रंग हरियाली का, महुए का पेड़ तथा तेंदु पत्ता उससे जुड़ी जीविका पर निर्भरता का, तथा मोर पंख जंगली जानवरों के प्रति इनके स्नेह का प्रतीक है. झंडे में एक-दूसरे का हाथ पकड़े लोग जंगल पर

अपने अधिकारों के लिए अपनी संकल्पबद्धता को दर्शाते हैं.

इस पूरे इलाके में सरकारी मशीनरी कंपनी के साथ कदमताल करती नजर आती है. इसके कई उदाहरण हैं. १५ अगस्त २०१२ को जिला कलेक्टर को एक विशेष ग्रामसभा के लिए आवेदन दिया. लेकिन यह ग्रामसभा सात माह बाद ६ मार्च को हो पाई. इस ग्रामसभा में केवल १८४ लोग उपस्थित थे लेकिन जब सूचना के अधिकार से इस ग्रामसभा के प्रस्ताव की प्रति निकाली गई तो इसमें ११२५ लोगों के हस्ताक्षर पाए गए. इनमें मृतकों के हस्ताक्षर भी शामिल थे. इस बात के वीडियो प्रमाण हैं कि इस ग्रामसभा के नोडल अधिकारी ग्रामसभा की प्रक्रिया के दौरान २० बार कंपनी के दफ्तर में गए थे.

आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय के खात्मे के लिए लाए गए वन अधिकार कानून के अनुसार ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य है पर इन क्षेत्रों में वनाधिकार कानून ही लागू नहीं है. कानून के तहत सामुदायिक अधिकार की मांग जोर पकड़ते ही सरकारी अधिकारियों ने आकर वनाधिकार समिति ही बदल दी. इस मामले को लेकर जब इन स्थानीय लोगों ने केन्द्रीय जनजातीय मंत्री वी. किशोर देव से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि यह तो कानून का उल्लंघन है. उन्होंने मध्यप्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को जून २०१३ में एक पत्र लिखकर यह कहा कि ''मोटे तौर पर सिंगरौली में बड़ी मात्रा में वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित किया गया है, लेकिन एक भी जगह सामुदायिक वन अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं. स्थानीय लोगों की शिकायतें होने के बावजूद भी महान कोल लिमिटेड को वन तथा खनन की स्वीकृति कैसे दे दी गई?'' इस पर आज तक प्रदेश सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया है और जब स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस सवाल का जवाब मांगने समुदाय राज्यपाल के पास गया तो उन्होंने ज्ञापन इनके मुंह पर फेंक दिया. सोचिए आजादी पर्व के लिए इमारतों पर हुई रोशनी क्या ऐसी आजादी की गवाही देती है?

इस गांव की ग्रामसभा द्वारा दो बार यह प्रस्ताव पारित करने के बाद कि हमें यह परियोजना नहीं चाहिए, अनुमति देना समझ से परे है? फिर यह तो आदिम मानव बैगा का घर है. यह घटनाक्रम संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के प्रति

सरकार की विफलता की द्योतक है.

हाल ही में कोयला बिजली क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन के कारण हो रही मौतों और रोग पर आई पहली रिपोर्ट का अनुमान है कि साल २०११-१२ में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से उत्सर्जन के कारण भारत में एक लाख लोगों की असमय मृत्यु हो गई है. अध्ययन से पता चलता है कि कोयला आधारित बिजली स्टेशनों से उत्सर्जन के कारण अस्थमा, श्वसन समस्या और हृदय रोग के हजारों मामले सामने आए हैं. ऐसे में इस परियोजना को हरी झंडी देना कहां तक उचित है? भारत को अपनी उर्जा उत्पादन प्रणाली और विधियों में व्यापक बदलाव करने की जरूरत है. अंतरराष्ट्रीय पवन ऊर्जा परिषद् के सचिव जनरल स्टीव स्वेयर कहते हैं, ''विश्व में पवन उर्जा के लिहाज से भारत बहुत बड़ी संभावना वाला देश है.'' ऐसे में सरकार कोयले से पैदा होने वाली बिजली के लिए हाथ धोकर क्यों पीछे पड़ी है? ❑

(पृष्ठ १५ से...)

ज्ञान से संबंधित है. यह ज्ञान प्रायः अलिखित रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पंहुचता रहा है. इस परंपरा द्वारा ही बहुत सी जैवविविधता बचाई गई है व बेहद विकट परिस्थितियों में जलसंकट का सामना करने के उपाय खोजे गए हैं. अतः इन परंपराओं को बचाए रखना बहुत जरूरी है.

परंपरा के जिन पक्षों से हमें सीखना था, उसकी हम आधुनिक आकर्षक तकनीक के प्रचार-प्रसार में उपेक्षा कर बैठे. अरबों रुपए के बड़े-बड़े बांध बना दिए लेकिन पहले से चले आ रहे तालाबों की ठीक मरम्मत तक हम नहीं कर सके. इसी के सहकार एवं संरक्षण की विधियों के प्रति तो सामूहिक जिम्मेदारी की भावना थी उसका भी ह्रास हुआ.

अभी भी बहुत देर नहीं हुई है और समय रहते हम अपनी गलतियों को सुधार सकें तो गांवों की स्थिति में सुधार व गरीबी में कमी संभव है. इस हेतु गरीबों को उनका उचित हक दिलवाने के साथ ही साथ हमारी पारंपरिक जल एवं सिंचाई व्यवस्था को पुर्नजीवित करना होगा तथा जैवविविधता को बचाने के लिए वन विनाश को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करना होगा. ❑

उत्तराखंड : निर्माण के मापदंडों का निर्धारण

- रमेश पहाड़ी

हिमालय की भौगोलिक संरचना के अध्ययन से पता चलता है कि, यह अत्यंत विविधता भरा क्षेत्र है. नदियों के किनारे कहीं पर बहुत ठोस चट्टानों वाले हैं तो कहीं २०० मीटर दूर भी भुरभुरे पहाड़ हैं. ऐसे में न्यूनतम २०० मीटर दूरी पर निर्माण कार्य की स्वयमेव अनुमति देना भी खतरनाक सिद्ध हो सकता है. आवश्यकता है नदियों के तटों का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन कर नई भवन निर्माण स्वीकृति प्रणाली विकसित की जाए.

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य में नदी तटों के दोनों ओर २०० मीटर तक की सीमा में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्मों को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है. इससे पहले मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी ऐसा ही आदेश कर चुके हैं. लेकिन इसका नियमन कैसे होगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है. उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश जारी किया है कि जिसमें शिकायत की गई थी कि सरकार द्वारा जारी आदेश में मठ-मंदिरों का निर्माण प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जबकि अन्य निजी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है.

उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में जो भौगोलिक स्थिति और स्थलाकृति है, उसमें ऐसा लठैती आदेश कितना व्मावहारिक होगा इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है. यहां दर्जनों नदियां बहती हैं. मे नदियां कठोर चट्टानों के बीच अपना रास्ता बना कर लाखों वर्षों से बह रही हैं. इन नदियों के पाट कहीं बहुत चौड़े हैं तो कई स्थानों पर, जहां चट्टानें अधिक कठोर हैं, वे अपने लिए चौड़ा रास्ता नहीं बना पाई है और संकरी गहरी घाटियों में बहती हैं. इन तटीय चट्टानों के ऊपर जहां कहीं भी थोड़ी समतल भूमि रही, लोगों ने उन पर बस्तियां बसा लीं और ये बस्तियां हजारों वर्षों से सुरक्षित रूप से टिकी हुई हैं. उत्तराखंड

के सभी प्रयाग, तीर्थ और नगर ऐसे ही तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं और भविष्य में भी रहेंगे.

मुख्यमंत्री बहुगुणा के कथन और उसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश में २०० मीटर की दूरी का पैमाना किन विशेषज्ञों के अध्ययनों अथवा संस्तुतियों पर आधारित है, यह वे ही बेहतर समझते हैं. लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह आदेश बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है. इसलिए इस पर सरकार और न्यायालय को पुनर्विचार करना होगा तथा व्यापक अध्ययन के पश्चात इसके नियमन के नियम-कानून बनाने होंगे तभी इनकी सार्थकता भी होगी. इसके लिए अनुभवजनित ज्ञान का आधार भी लिया जाना जरूरी होगा.

अपने लंबे अनुभवों और लोक परंपराओं के आधार पर लोग कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि कमजोर और संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना चाहिए और उन पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. आठवें दशक में आरंभ हुए चिपको आंदोलन की ६ मांगों में से एक यह भी थी कि संवेदनशील वन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना चाहिए और उन पर स्थित वृक्षों का कटान नहीं किया जाना चाहिए. इसका स्पष्ट आशय यही था कि उससे संवेदनशीलता अधिक बढ़ेगी और वन क्षेत्रों में भूस्खलन, भूक्षरण, भूधसाव और भू कटाव अधिक बढ़ेगा.

चिपको आंदोलन की मातृ संस्था दशोली ग्राम स्वराज मंडल और उसके प्रणेता चंडीप्रसाद भट्ट ने ३-४ दशक पहले इन तथ्यों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उत्तराखंड के नेता हेमवती नंदन बहुगुणा का ध्यान आकर्षित किया था. बाद के वर्षों में पहाड़ों में भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप से होने वाले विनाश की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अनेक विचार-विमर्श और पत्राचार किए गए, लेकिन उन पर न केंद्र सरकार ने कोई सार्थक कार्यवाही की और न ही राज्य सरकार ने.

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमारे पास हिमालय की बहुत कम जानकारी है और जो है भी, उसका न व्यापक उपयोग हो रहा है और न प्रचार-प्रसार. इसलिए जिसके दिलोदिमाग में जो आ रहा है, वह वैसी ही बात कह देता है. लेकिन विज्ञान के साथ लोकज्ञान को जोड़ते हुए अपनी समझ बढ़ाने तथा लोकोन्मुखी व्यावहारिक कार्यक्रम बनाने की दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं हो पा रहे हैं. सबसे

पहले इसी कमी को दूर करने की जरूरत है.

नदी तट और नदी तल के संबंध में भी कुछ बुनियादी तथ्यों को ध्यान में रखना होगा. पहला यह कि पहाड़ों और मैदानों तथा कठोर चट्टानों और मलबे व मिट्टी वाले तटों में स्पष्ट अंतर करते हुए उसके लिए अलग मानक बनाने होंगे. पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों की बाढ़ ने इस बार जो उच्चतम सीमा रेखा तय की है, उससे दस मीटर ऊपर के भूक्षेत्रों को चिन्हित कर, उससे नीचे स्थायी निर्माण कार्यों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए. यह सीमा रेखा केवल पक्के चट्टानी क्षेत्रों के लिए हो. दूसरा यह कि नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर संवेदनशील तथा असुरक्षित भू क्षेत्रों की जानकारी संबंधित ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, पटवारियों-लेखपालों तथा प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी और उन पर स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्यों को सख्ती से प्रतिबंधित करना होगा, भले ही वे भू क्षेत्र किसी के भूमिधरी अधिकारों में ही शामिल क्यों न हों. तीसरा बिंदु नदी तटों में चुगान व खनन के बारे में है. हर बरसात में नदी में रेत व कंकड़-पत्थर आते रहते हैं. पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः उसका टिपान (एकत्र) स्थानीय लोग और ठेकेदार बिना किसी नियम के करते हैं, लेकिन इसका कोई पैमाना नहीं है. इसका नियमन और मानक निर्धारित करने की जरूरत है. लेकिन यह व्यापक अध्ययन करने तथा उसका नफा-नुकसान तोलने के बाद होना चाहिए.

हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में व्यापक वैज्ञानिक जानकारी का अभाव है. इस कारण इस पूरी पर्वत-श्रंखला में बसाहटों, विकास व निर्माण कार्यों का नीति-नियमन नहीं है. इससे प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोत्तरी का क्रम लगातार जारी है जिसका त्रास न केवल स्थानीय स्तर पर भोगना पड़ रहा है, बल्कि मैदानी क्षेत्रों की बहुत बड़ी जनसंख्या इसके दुष्प्रभावनों से पीड़ित हो रही हैं. इसलिए इसका व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन कर अति संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन और मानचित्रण करते हुए एक विस्तृत विवरणिका तैयार की जानी चाहिए तथा बसाहटों, निर्माण-कार्यों और भूमि सहित समस्त प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए व्यावहारिक दिशा-निर्देश तैयार कर उन्हें व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि लोक व्यवहार उसके अनुरूप लोक व्यवहार हो. ❑

विशेष आलेख - ३

जल सत्याग्रह : हमने भंवर बांध लिए पाँवों में

- चिन्मय मिश्र

न कोई ख्वाब हमारे हैं न ताबीरें हैं,
हम तो पानी पर बनाई हुई तस्वीर हैं!

.कतील शिफाई

मध्यप्रदेश की नर्मदा घाटी में एक वर्ष में दूसरी बार जल सत्याग्रह पर बैठा समुदाय कतील शिफाई की इन पंक्तियों पर शत-प्रतिशत खरा उतर रहा है. इंदिरा सागर बांध प्रभावित पिछले करीब दो हफ्ते से पानी में बैठे हैं. सात अलग-अलग स्थानों पर जलाशय में उतरे इन सैकड़ों लोगों में ऐसी घरेलू महिलाएं शामिल हैं, जिनके सिर पर रखा पल्ला इतनी असहनीय पीड़ा के बावजूद सिर से खिसका नहीं है. इसे उनकी दकियानूसी सोच कहकर नहीं नकारा जा सकता. क्योंकि इस तीखी गर्मी में यही उनका कवच है. ये उनके साहस का भी प्रमाण है कि इतने संकट के समय में भी वे पूरी शिद्दत और चेतना के साथ संघर्षरत हैं. पानी से बाहर दिखते गलते पैर उनके पैरों की नहीं बल्कि हमारे तंत्र की गलन को अभिव्यक्त कर रहे हैं.

इस जल सत्याग्रह में इन महिलाओं के अलावा बड़ी संख्या में पुरुष और बच्चे ही नहीं, तिपहिया साइकल व चारपाई पर लेटे हुए विकलांग भी दिख जाते हैं जो अपनी ''विकलांगता'' पर विजय पाकर शासन की ''विकलांगता'' को उजागर कर रहे हैं. देशभर का मीडिया आज इन सत्याग्रहियों के साथ खड़ा है और शासन को समझा रहा है कि ठहरे पानी में आई यह सुनामी इस पूरे तंत्र को आज नहीं तो कल ध्वस्त कर देगी. लेकिन कबूतर की तरह आंख मींचकर स्वमं को सुरक्षित समझ रहा शासक वर्ग अपने कान में रुई ठूंसे और आंख पर पट्टी बांधे आने वाली सुनामी की आहट की जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है.

मध्यप्रदेश शासन ने इस वर्ष बांध की ऊंचाई को २६० मीटर से २६२ मीटर ऊपर कर कौन सा तीर मार लिया है, ये तो वे ही बता सकते हैं. लेकिन वे हर वर्ष सिंचाई क्षमता में वृद्धि को जोर शोर से बताते हैं, लेकिन वास्तव में

खेतों में इसका कितना उपयोग हुआ है, यह छुपा जाते हैं. मानसून की शुरुआत में ही अनेक स्थानों पर सिंचाई की मुख्य नहरें टूट गई थीं. इससे साफ जाहिर हो जाता है कि वस्तु स्थिति क्या है? पिछले दिनों इंदौर में एक वरिष्ठ शासकीय अधिकारी ने जल सत्याग्रह संबंधी ज्ञापन लेते हुए टिप्पणी की थी कि, यह सबकुछ तो ''करार'' में लिखवा ही हुआ है. इस पर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अनिल त्रिवेदी ने कहा था कि यह एक मात्र आंदोलन है, जिसकी संभवत: अपनी कोई मांग ही नहीं है और यह तो केवल शासन से उसके द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने का आग्रह कर रहा है और बदले में उसे लांछन और जेल भुगतनी पड़ रही है.

जरा गौर करिए पानी में बैठा यह समुदाय क्या मांग कर रहा है, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के आदेशों के अनुसार इंदिरा सागर बांध का स्तर २६० मीटर के ऊपर न ले जाया जाए, किसानों को जमीन के बदले जमीन और न्यूनतम ५ एकड़ भूमि दी जाए (पुनर्वास नीति में प्रावधान के अनुसार), मजदूरों को २.५ लाख रु. अनुदान (ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों को दिए गए अनुसार) दिया जाए, भू-अर्जन पूर्णता के साथ व पुनर्वास भी पूर्णता से हो, टापू बनी जमीनों व मकानों तक पहुंचने के लिए पुलिया और सड़कों का निर्माण किया जाए, जिन किसानों की जमीनें डूब गई हैं, उनके घरों का भी अधिग्रहण किया जाए (क्योंकि वहां अब कोई रोजगार ही नहीं है), पुनर्वास स्थलों पर पानी और रोजगार की व्यवस्था की जाए और बैक वाटर सर्वेक्षण में छोड़े गए गांवों का सर्वेक्षण हो. इन बातों के क्रियान्वयन हेतु सरकार कानूनी रूप से बाध्य है, लेकिन सरकार की जवाबदारी तो अब संभवत: सर्वोच्च न्यायालय भी तय नहीं कर सकता!

हम सभी जानते हैं कि नर्मदा घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम आरण्यक सभ्यता है और माना जाता है कि एशिया का पहला किसान इसी घाटी में विकसित हुआ है, लेकिन आज तो उसका अस्तित्व ही संकट में है. उसे अपने ही आंगन में जलसमाधि लेने की ओर बढ़ना पड़ रहा है. जबकि हमारा संविधान अनुच्छेद २ (२१) में प्राण एवं दैहिक स्वतंषता के संरक्षण की गारंटी देता है. इतना ही नहीं इस मूल अधिकार को भारतीय परंपरा से जोड़ते हुए न्यायमूर्ति भगवती ने एक निर्णय में लिखवा था, ''मूल अधिकार वैदिक काल से इस देश के लोगों द्वारा संजोए गए आधारभूत मूल्यों का निरूपण करते हैं और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने तथा ऐसी दशाएं उत्पन्न करने के लिए

उपयुक्त हैं, जिनमें प्रत्येक मानव अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है.'' इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को ''हमारी जनता के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि'' बताया था.

लेकिन हम आज इन मूल अधिकारों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन देख कर भी चुप बैठे हैं. जबकि खुमार बाराबंकवी ने साफ लिखा है,

डूबा हो जब अंधेरे में हमसाए का मकान,

अपने मकां में शम्आ जलाना गुनाह है.

मगर हमारा शहरी समाज अपने पड़ौसी गांवों को अंधेरे में नहीं वरन पानी में डुबा कर सिर्फ अपने घर को ही नहीं बल्कि ऐशो-आराम के सारे मकामों को जगमगा रहा है. विकास की इस आंधी में उसकी हिम्मत सिर उठाकर खड़े होने की नहीं है. इस प्रकार की हृदयहीनता कभी भारतीय समाज को घेर लेगी ऐसी तो कल्पना ही नहीं की गई थी. स्थितियां तब और गंभीर हो जाती हैं जब हमारी चुनी हुई वैधानिक सरकारें संविधान के खंड-२ में मूल अधिकारों के संबंध में दिए गए इस निर्देश, ''राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी.'' का भी पालन नहीं करती.

भारत में जबरिया विस्थापन के विरुद्ध चल रहे संघर्षों के प्राण तो नर्मदाघाटी में ही बसते हैं. यहां इस अन्याय को नए सिरे से न केवल परिभाषित ही किया गया है बल्कि इसे जनआंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. यहां एक और बात का उल्लेख करना शायद अनुचित नहीं होगा. मध्यप्रदेश की भाजपा नीत सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं को किसान का बेटा बताते नहीं थकते और उन्होंने ही पारित नए भूमि अधिग्रहण हेतु सिंचाई परियोजनाओं में किसानों को जमीन के बदले जमीन न दिए जाने का प्रस्ताव दिया. इसे प्रधानमंत्री ने असाधारण तीव्रता से स्वीकार कर हाथोंहाथ कानून में डलवा दिया. वहीं दूसरी ओर देखें तो कांग्रेस की भूमिका भी कम डरावनी नहीं है. यह बांध उनकी सर्वकालिक महान नेता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर ही इंदिरा सागर बांध कहलाता है. कांग्रेस इंदिरा गांधी को गरीबों और वंचितों का मसीहा बताते नहीं थकती. आज उनके नाम पर बने बांध और

जलाशय में हो रहे अन्याय पर कांग्रेस की चुप्पी बता रही है कि वे अपने ''पूज्य'' नेता का कितना सम्मान करते हैं.

नर्मदा घाटी में हो रहे अन्याय के खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगुवाई में चल रहा यह अहिंसक जल सत्याग्रह हमें समझा रहा है कि किसी आदर्श के लिए स्वयं को सूली पर चढ़ा देने वाला समुदाय आज भी इस ग्रह पर मौजूद है और उसने अपने हाथों से इस मानवता को सहेज रखा है. आवश्यकता इस बात की है कि इसमें हमारा हाथ भी जुड़े और हम सबका यानि सारी मानवता का भविष्य बच पाए.

कतील शिफाई के शब्दों में जल सत्याग्रहियों को कुछ ऐसे देखा जा सकता है,

कत्ल करने का मिला हुक्म जो दरियाओं में,

हमने खुश होकर भंवर बांध लिए पांव में.

अब ये हमारी जवाबदारी है कि ऐसा हुक्मनामा रद्द हो. ❑

(पृष्ठ १८ से...)

हूं. ये लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, तो समझते हैं कि जनता इनके साथ है. मैं सारे देश में घूम सकता अगर, तो एक पल के लिए भी इनको कुर्सियों पर चैन नहीं लेने देता. ये या तो सीधे तरीके से काम करते या कुर्सियों से उतरना पड़ता इन्हें. इस आंदोलन ने जनता को उसकी शक्ति की पहचान कराई है. आज स्थिति ऐसी है कि लोगों को सही और गतिशील नेतृत्व मिल जाए, तो वे कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे... लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं अपने जीवन का यह सूर्यास्त देखने के लिए...'' रात के सन्नाटे में, उनके कमरे में पलंग से लगकर खड़े हम तीन उनकी यह पीड़ा सुन रहे थे और उसका असाध्य दर्द महसूस कर रहे थे. पलंग से नीचे उतरते-उतरते वे एक अंग्रेजी कविता की कुछ पंक्तियां बोल गए.

सुला-भुना देना चाहता हूं गुजरी-गुजरान को,
चाहता हूं, मैं शिथिल पड़ा रहूं,
और दरवाजे पर दस्तक होती रहे,
मेरे लिए जीवन का सूर्य ऐसा अस्त हो,
कि फिर कभी उगे नहीं. ❑

संघर्ष और सफलता की गाथा
बराक ओबामा

- डॉ.विद्या केशव चिटको

(गतांक से आगे...)

केनिया से ओबामा जब वापस शिकागो आया तब दो हफ्ते तक वह उन अनुभव किए आनंद के, आदर के, प्रेम, स्नेह भरे वातावरण में ही जीता रहा. पितृभूमि के दर्शन कर उसे अपरंपार शांति प्राप्त हुई थी. काम करने के लिए उसे नवीन रूप में उर्जा प्राप्त हुई थी. अब वह अपने स्वर्णिम सुख स्वप्न नगरी से वास्तव धरती पर आया था. अध्यक्षीय पद के लिए अब वह सोचने लगा था. मित्र और उसके हितैषी प्रेसिडेंट चुनाव के बारे में बातें करते. उसके एक पुराने निकट के संबंधी ने जो ओबामा का सहकारी भी था उसने कहा. ''हर कोई कह रहे हैं कि आपको राष्ट्रपति बनना चाहिए जब आप कितना बुरा महसूस कर सकते हैं.''

ओबामा सोचता रहा कि यह सब कैसे संभव है ? उसकी परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर है. लड़कियों को बड़ा करना है. उन्हे पढ़ाना लिखवाना है. वह व्हाइट हाऊस के सपने कैसे देखे ? नहीं ! ना ! ना ! वह सोच भी नहीं सकता. उसने जोर से अपना सिर हिला दिया मानो मन के विचार को झटक रहा हो. पर होनी को कैसे टाला जा सकता है.

एक हफ्ते बाद उसके एक दोस्त का उसके घर पर आगमन हुआ वह बोला ''हमने निश्चित ही इसे देखा कि अब जो कुछ संभव हो गया''

राबर्ट गिब्स बोले ''ओबामा, यह एक सनकी बात नहीं होगी.''

अब अंडाकार कार्यालय ओबामा की आंखों के सामने आने लगा था. उसकी चर्चा भी होने लगी थी. अंतरंग दोस्तों और उसे सलाह देनेवालों में एकदम निकट के रहे मिशेल उसकी पत्नी डेविड एक्सेलरॉड और गीब्स उसके बाद

जेर्मिया राइट, जेस्सी जॉकसब, न्यूटन मिनौ, मिकौ, पेन्नी और प्रिट्जर वलेरी (Pritegar Valeri), जारेट (Jaret), कस्सांड्रा बट्स (Cassandra Butts)और मार्टी नेसबिट (Marty Nesbit).

इनमें से कुछ तो उसके ऊपर बहुत दबाव डालने लगे. उनसे आग्रह करनेवाले लोग बड़ी संख्या में थे. एक्सेलरॉड ने कहा, ''पीले सावधानी झंडा लहरानेवाले कई लोग नहीं हैं'

अडलैस्टीवेनसन कहा ''मैंने जॉन कैनेडी को देखा था और अब मैंने तुम्हें देखा है और अब मैं बीच में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है'' मिनौ बोला ''ओबामा! अब आपको इसके लिए जाना चाहिए.''

यह सब चर्चा विचार विमर्श चल ही रहा था कि अक्टूबर में उसकी पुस्तक (आशा का दुस्साहस) प्रकाशित हुई. पुस्तक को बड़ी प्रसिद्धि मिली खुब बिकनवालों में पहले क्रमांक पर रही. पुस्तक प्रकाशित हुई १६ अक्टूबर २००६ का और उसकी हाथों हाथ प्रतियां बिकी ७,५०,००० यह एक विशेष घटना रही. इस पुस्तक को ग्राम्मी पुरस्कार प्राप्त हुआ. शिकागो में एक्सलरॉड के ऑफिस में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक नामांकन की एक बैठक बुलाई गई.

मार्टिन लूथर किंग जूनिअर के ७८ वें जन्म दिवस पर बराक ओबामा ने संघीय चुनाव आयोग के साथ कागजात दायर किया और राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने एक खोज समिति भी बनाई गई.

१० फरवरी ०७ में बराक ने पुरानी राजधानी स्प्रेंगफील्ड, इलिगायस में उसने अपनी उम्मीदवारी घोषित की. बराक को सेनेटॉर के रूप में पूरे छः साल भी नहीं हुए थे और यह एक बड़ी छलांग थी और बराक को सेनेटर के रूप में पूरे छः साल भी नहीं हुए थे और फिर भी उन्होंने महसूस किया कि वह उस देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार नही है जो दुनिया का नेतृत्व करता है.

(क्रमशः...)

अब अपनी रचनाएँ इस पते पर भेजें

डा.सी.जयशंकर बाबु

सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग पांडीच्चेरी विश्वविद्यालय, कालापेठ, पुद्दुच्चेरी - ६०५०१४

चलध्वनि संपर्क : ०९८४३५०८५०६

ईमेल-editorbabuji@gmail.com / वेबसाईट-www.yugmanas.blogspot.com

समाचार भारती- १

भारत जोडो मैत्री यात्रा

दि. १५ मार्च से १६ अप्रैल २०१३

ईटानगर (अरुणाचल) से शांतिनिकेतन (पं.बंगाल) तक.

जोड़ो भारत अभियान ट्रस्ट, मुंबई (महाराष्ट्र) द्वारा आयोजित पुर्वोत्तर भारत जोडो मैत्री यात्रा सफल रही.

जेष्ठ समाजसेवी बाबा आमटेजी ने २५ साल पहले पूरे भारत में १९८५ में कन्याकुमारी - काश्मीर और १९८८-८९ में अरुणाचल से गुजरात तक भारत जोडो सायकल यात्रा का आयोजन किया था. इसी सायकल यात्रा के रौप्य महोत्सव वर्ष मनाने हेतू १५ मार्च से १६ अप्रैल २०१३ तक ईटानगर (अरुणाचल) से शांतिनिकेतन (प.बंगाल) तक पूर्वोत्तर राज्य में भारत जोड़ो मैत्री यात्रा का आयोजन किया गया था. इस यात्रा का आयोजन डॉ.एस.एन.सुब्बारावजी (भाईजी) के मार्गदर्शनपर जोडो भारत अभियान ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय युवा योजना के सहयोग से आयोजन किया गया था.

पूर्वोत्तर प्रांत के लोगों से मिलकर, उनके समस्या को जानने, उनके अलग संस्कृति को देखना, और यह सुंदर संस्कृति से जुड़ा प्रांत भारत से अलग नही होना चाहिए, देश के निवासी सभी जन एक हो, रंग, रूप, वेष-भूषा जाति धर्म चाहे अनेक हो. इसी उद्देश को सामने रखकर भारत जोड़ो मैत्री यात्रा का आयोजन किया गया था. यह ५000 किमी. की, एक महिने की यात्रा दो मिनी बस से सवार २५ साथीयों ने अपना अमुल्य समय देकर सफल बनायी.

इस यात्रा १५ मार्च को ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकीजीने पेड़ की हरीपत्ती को दिखाकर उद्घाटन किया. इसयात्रा के दौरान त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री, माणिक सरकार, आसाम राज्य के राज्यपाल श्री जे.बी.पटनायक और... आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुलकुमार महंतो से भारत जोड़ो मैत्री यात्री मिले. इस में डॉ. एस.एन. सुब्बारावजी भी उपस्थित थे.

आसाम राज्य में मैत्री आश्रम, लखीनपूर के लक्ष्मी बहन, हेम भाई (शांति साधना आश्रम गोवाहाटी), रविंद्रभाई (रुरल व्हालींयटीअर सेंटर-आकाजान), ॲक्शन नार्थईस्ट ट्रस्ट (ANT) रोमरी (जि.चिरांग) इन सामाजिक संस्था से सभी को प्रेरणा मिली. नागालँड राज्य में नागालँड स्टुडंट युनियन, आसाम में आसाम बोडो स्टुडंट युनियन और आसाम मुस्लीम स्टुडंट युनियन, पं.बंगाल

में गोरखा जनमुक्ती मोर्चा आदि संघटना के साथीयों से भी मिलकर चर्चा की. कृषी विद्यापीठ, पासीबाट (अरुणाचल), NIT कॉलेज सिलचर (आसाम), विश्वभारती विद्यापीठ (पं.बंगाल), सिक्कीम विद्यापीठ (गंगटोक-सिक्कीम), IIT कॉलेज (सिकीम), मेघालय में मिझोरम राज्यो ने अलग, अलग.

इस ऐतिहासिक यात्रा स्वागत हर प्रांत में बहुत ही अच्छा हुआ. आसाम राज्य में जुनाई (जि.धेमाजी) , त्रिपुरा में अगरतळा, गोवाहाटी, सिक्कीम में रंगप्पो, पं.बंगाल में शांतिनिकेतन में राष्ट्रीय युवा योजना युनिट ने बहुत सहयोग किया. पं.बंगाल में नागरकटा, कालींगयोग और दार्जीलींग में इबरट्रिप रेयुकाई संस्था के साथियों ने भी सहयोग किया.

इस यात्रा कॉलेज एवमं स्कुल के छात्रों को और मणीपुर आंगणवाडी के सदस्यों को नरेंद्रभाई ने जोड़ो भारत का संदेश दिया. अगरतला में भारत की संतान कार्यक्रम के माध्यम से एकता का संदेश दिया.

गोरखालंड (बंगाल), बोडोलॅड (आसाम) क्षेत्र में आ भाईजी ने मार्गदर्शन किया. कोकराझरमें (आसाम) कुछ महिनों पहले जो हिंदुबोडो और मुस्लीम बोडो में दंगा फसाद हुआ था. इस क्षेत्र में २ दिन का पडाव यात्रा का था. इस क्षेत्र में हम भाईजी के मार्गदर्शन पर क्षतिग्रस्त गाँवमें धर्मेंद्रभाई शामिल हुअे. बंगालमें टिलोरिया (जि.बर्धमान) इस गॉव में रविंद्र टागोरजी की श्यामुली खास्तगीर की समाधी को नमन किया.

इस यात्रा को अनिल हेब्बर और नफीसा बहन ने समन्वय रूप में जम्मेदारी उठाई थी. डॉ.सुंदरेशन 'मुदलबन' (तामिलनाडू) विलास और रेणूका पाटणकर, (कर्नाटक), महाराष्ट्र से गोरख वेताळ, नरेंद्र वडगावकर, शशीकांतजी, मनजीतसिंग, दगडू लोमटे, प्रकाश ठोबळे, दिलीप ससाणे, गिरीष पद्मावार, चंदु परब, अलका पद्माकर रमेश ससाणे, डॉ.मनिषा, प्राची, अशोक भारत इत्यादि साथी यात्रा में सहभागी रहे.

इस पूरी एक महिने की यात्रामें जहाँ-जहाँ कार्यक्रम हुऐ उस क्षेत्र / गाँव से हमने मिट्टी इकट्ठा की थी. दि. १६ अप्रैल को शांतिनिकेतन के विश्वभारती विश्वविद्यालय में दो पेड इस मिट्टीसे लगाकर मापन हुआ. इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपती, डॉ.सुब्बारावजी, डॉ.विकास आमटे और नरेंद्र मिस्त्री और अन्य भारत जोडो साथी सम्मलित हुऐ थे. →